बिहार सरकार
<u>विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग</u>

पत्रांकः—वि० प्रा० (VI) BCECEB-02/2019 2665 /पटना, दिनांक – 31.7.2019

प्रेषक,

**संजीव कुमार** भा०प्र०से०
निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद,
आई० ए० एस० भवन, पटना।

**विषयः—** राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में सत्र 2019—2020 में नामांकन के समय छात्रों से ली जाने वाली विकास शुल्क की राशि के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश पत्रांक 1845 दिनांक—05.08.2011 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में नामांकन के समय छात्रों से ली जाने वाली विकास शुल्क की राशि निम्नवत निर्धारित हैः—

1 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय—2500/— रू० प्रति छात्र प्रति वर्ष।

2 राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक—1000/—रू० प्रति छात्र प्रति वर्ष।

**अनु०—यथोक्त।**

विश्वासभाजन,
31.07.19
निदेशक

Sonal _Dir.Folder/Dt-31.07-2019

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक – वि० प्रा० (11)छात्र–03/04 1345 /पटना, दिनांक– 5.8.2011

प्रेषक,

डॉ० श्रीभगवान सिंह,

निदेशक।

सेवा में,

प्राचार्य/विशेष कार्य पदाधिकारी

राज्य के सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय

सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक।

विषय: विकास शुल्क की राशि छात्रों से एक मुश्त लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 31.01.2011 को अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिकों द्वारा ली जाने वाली विकास शुल्क की राशि प्रति छात्र प्रतिवर्ष 2500/– रू० अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं 1000/–रू० पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए समिति की हुई बैठक में लिये गये निर्णय को दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

अनु० – यथोपरि।

विश्वासभाजन,

7.8.11

निदेशक,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,

बिहार, पटना।

11.8.2011

आज दिनांक 31.01.2011 को निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में अभियंत्रण महाविद्यालयो एवं राजकीय पोलिटेकनिक / महिला पोलिटेकनिकों द्वारा ली जाने वाली शुल्कों के संबंध मे समिति की बैठक हुई, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए :-

(1) निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना

(2) उप सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना

(3) उप निदेशक (त०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना

(4) सहायक निदेशक (त०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना

(5) सहायक निदेशक (वि०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना

(6) प्रभारी प्राचार्य, बी०सी०ई०, भागलपुर

(7) प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, गुलजारबाग, पटना-7

उक्त बैठक में सभी पहलुओं पर विमर्शोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

(1) प्रथम वर्ष मे नामांकन होने के उपरान्त दुबारा कॉउन्सिलिंग के फलस्वरुप संस्थान छोड़े जाने की स्थिति में नामांकन एवं शिक्षण शुल्क छोड़कर नामांकन के समय ली गई सम्पूर्ण राशि लौटा दी जायेगी, बशर्ते कि राज्य के अन्तर्गत किसी सरकारी संस्थान मे छात्र द्वारा नामांकन लिया गया हो।

(2) प्रथम वर्ष में नामांकन के पश्चात् संस्थान छोड़ने की स्थिति में अभातशिप के दिशा-निर्देश के आलोक मे अगर उस सीट पर अन्य छात्र द्वारा नामांकन लिया जाता है तो नामांकन के समय ली गई पूर्ण राशि (नामांकन एवं शिक्षण शुल्क छोड़कर) लौटा दी जायेगी, अन्यथा नहीं।

(3) विभागीय निदेशानुसार विकास शुल्क की राशि प्रति छात्र प्रतिवर्ष 2500 रु0 अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं 1000 रु0 पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए लेने का प्रावधान है।

(4) विकास शुल्क का पुर्ननिर्धारण अभातशिप के दिशा-निर्देश के आधार पर अपेक्षित है।

(5) छात्रों से प्राप्त विकास शुल्क का खर्च निम्न मदों में करने का प्रावधान किया जा सकता है।

(i) आवश्यकता आधारित रखे गये अतिथि व्याख्याताओं / विषय विशेषज्ञों का पारिश्रमिक (विभाग द्वारा निर्धारित दर पर)।

(ii) प्रयोगशालाओं / कार्यशालाओ के लिए आवश्यक सामग्री एवं औजार के क्रय हेतु

(iii) शिक्षण सामग्रियों यथा चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड / व्हाईट बोर्ड / ग्रीन बोर्ड / ब्लैक बोर्ड पेंट एवं मार्कर इत्यादि के क्रय हेतु

(iv) संस्थानों की साफ-सफाई हेतु अधिकतम रु0 5 हजार प्रतिमाह एवं अधिकतम 30 हजार प्रतिवर्ष

(v) आकस्मिक परिस्थितियों यथा घटना / दुर्घटना / विधि व्यवस्था इत्यादि के लिए अधिकतम 20 हजार रु0 प्रतिवर्ष

(vi) संस्थान में आवश्यकतानुसार उपयोग हेतु जेनरेटर का ईंधन का खर्च

(6) प्राचार्य की अध्यक्षता में सभी विभागों के वरीयतम शिक्षकों की समिति बनाकर उपरोक्त सभी खर्च पर स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय की जायेगी।

(7) नामांकन, शिक्षण एवं विकास शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्कों के लिए नीति निर्धारण हेतु उच्च स्तरीय विमर्श अपेक्षित है।

# EXALT COLLEGE OF ENGG. & TECHNOLOGY

## KANHAULI, HAJIPUR-MAHUA ROAD, VAISHALI

WEB- www.exaltedu.com, email- exaltexamdeptt@gmail.com

***APPROVED BY AICTE (GOVT. OF INDIA) & AFFILIATED TO AKU, PATNA***

***Ref.NO:-*** ***Date:-***

## Fee Structure

**Session- 2019-23**

**First Year**

| Sl. No. | Particular | Fee (Yearly) |
|---|---|---|
| 1. | Course Fee | Rs. 85,000/- |
| 2. | Misc. Fee* | Rs. 15,000/- |

**Total : Rs. 1, 00,000/-**

**Second Year**

| Sl. No. | Particular | Fee (Yearly) |
|---|---|---|
| 1. | Course Fee | Rs. 85,000/- |
| 2. | Misc. Fee* | Rs. 15,000/- |

**Total : Rs. 1, 00,000/-**

**Third Year**

| Sl. No. | Particular | Fee (Yearly) |
|---|---|---|
| 1. | Course Fee | Rs. 85,000/- |
| 2. | Misc. Fee* | Rs. 15,000/- |

**Total : Rs. 1, 00,000/-**

**Fourth Year**

| Sl. No. | Particular | Fee (Yearly) |
|---|---|---|
| 1. | Course Fee | Rs. 85,000/- |
| 2. | Misc. Fee* | Rs. 15,000/- |

**Total : Rs. 1, 00,000/-**

**Note: - Admission Fee and counselling fee to be paid Rs. 12,500 (One Time) at the time of admission. And Total Semester fees for four years is Rs 4, 00,000/- (Four Lacks Only)**

***College Bank Details:-***

***Name of Bank:-** Canara Bank*

***Name of Account:-** EXALT COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY*

***Branch:-**Mahua*

***Account No.- 4571201000038***

***IFSC Code:-** CNRB0004571*

***MICR Code:-** 844015510*

***Address:-** Mahua Singh Rai, Desri Road,*
*Distt-Vaishali Pin-844122*

DD should be in favor of **EXALT COLLEGE OF ENGG. & TECHNOLOGY**, payable at –**MAHUA.**